International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 06, No. 01(II), January - March, 2024, pp. 116-121

भारत में मानव तस्करी एक ज्वलंत एवं गंभीर समस्या के रूप में

नीतू चौधरी*

सार

मानव तस्करी भारत की एक गंभीर और ज्वलंत समस्या है। मानव तस्करी के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है। केवल अंतरराज्यीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी का भी भारत एक केन्द्र बन चुका है। नेपाल और बांग्लादेश के साथ भारत की काफी खुली सीमा होने के कारण मानव तस्करी ज्यादा होती है। मानव तस्करी आधुनिक गुलामी का ही एक रूप है। यह वह अपराध है जहां एक व्यक्ति अपने लाभ के लिए अन्य व्यक्तियों की खरीद–फरोख्त का काम करता है। वर्तमान समय में मनुष्य इतना अमानवीय हो गया है कि उसके द्वारा वस्तुओं, सामानों, पशु–पक्षियों का ही नहीं बल्कि बच्चों और महिलाओं का भी व्यापार किया जाने लगा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा के अनुसार, ''किसी व्यक्ति को डरा कर, बलपूर्वक या दोषपूर्ण तरीके से काम लेना, यहाँ–वहाँ ले जाना या बंधक बनाकर रखने जैसे कृत्य तस्करी की श्रेणी में आते है।'' मानव तस्करी का शिकार कोई भी व्यक्ति हो सकता है। वयस्क और बच्चे, पुरूष, महिला और ट्रांसजेंडर कोई भी इसका शिकार बन सकता है। मानव तस्करी गैर–कानूनी है। हैरानी की बात यह है कि ड्रग्स और हथियारों के बाद मानव तस्करी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध है। महिलाओं की तस्करी उनकी जिस्मफरोशी के लिए की जाती है। जबकि बच्चों की तस्करी उनसे भीख मंगवाने, होटलों, ढाबों और दुकानों में बाल मजदूरी कराने के लिए की जाती है। मानव तस्करी का एक पूरा जाल फैला हुआ है। शहरों ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी मानव तस्करी की घटनाएँ घटित होती है। मानव तस्करी में शामिल ज्यादातर बच्चे बेहद गरीब और पिछड़े इलाकों के होते है जिन्हें पैसों का लालच देकर खरीद–फरोख्त की जाती है। मानव तस्करी का ही जघन्य रूप बाल तस्करी भी है, जिसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के असमाजिक तत्वों द्वारा बच्चों को उनके बचपन, शिक्षा और प्यार से वंचित कर उनका शारीरिक एवं मानसिक शोषण किया जाता है। उनका व्यापार किया जाता है, उनसे चोरी एवं भीख मांगने जैसे कुत्सित अपराध करवाए जाते है। और उनके शारीरिक अंगों की तस्करी की जाती है। इस समय भारत में मानव तस्करी की घटनाओ में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। इस आलेख का उद्देश्य भारत की इस समय की सबसे गंभीर समस्या मानव तस्करी से संबंधित मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित करना व इस समस्या के समाधान के लिए सुझाव प्रस्तुत करना है।

शब्दकोशः *बाल तस्करी, मानव तस्करी, यौन शोषण, बंधुआ मजदूरी।*

प्रस्तावना

मानव तस्करी से संबंधित संवैधानिक व कानूनी व्यवस्था

मानव तस्करी से जुड़े हुए कुछ भारतीय संवैधानिक व कानूनी प्रावधान इस प्रकार है–

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 (1) और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के तहत भारत में मानव तस्करी प्रतिबंधित है।

* सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टोंक, राजस्थान।

- POCSO अधिनियम, 2012
- मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम (THOA), 1994
- भारत बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 1976, बाल श्रम (निषेध और उन्मूलन) अधिनियम 1986 और किशोर न्याय अधिनियम के माध्यम से बंधुआ तथा जबरन श्रम पर भी प्रतिबंध लगाता है।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 366(A) और 372 क्रमशः नाबालिगों के अपहरण तथा वेश्यावृत्ति पर रोक लगाती है।
- कारखाना अधिनियम, 1948 श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है।
- मानव तस्करी निषेध अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों में प्रमुख है– अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम–1956, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम–2006, बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम–1976, बाल श्रम निषेध विनिमय अधिनियम–1986, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम–1994 आदि प्रमुख है।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मानव तस्करी विरोधी विधेयक, व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक, 2021 का एक मसौदा जारी किया है, परन्तु इसे अंतिम रूप देने के लिए कैबिनेट की मंजूरी तथा संसद के दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है। इससे पहले इस तरह का मसौदा 2018 में भी आया था, परन्तु वह पारित नहीं हो पाया। इसके पारित होने से मानव तस्करी जैसी भयावह समस्या से कुछ राहत मिल सकेगी।

मानव तस्करी के रूप/प्रकार

- **बच्चों का अवैध व्यापार (Child Trafficking)**

सस्ते श्रम के उद्देश्य से, घरेलु कार्य के लिए सस्ता नौकर भीख मगवाना, वेश्यावृत्ति व बंधुआ मजदूरी के उद्देश्य से बच्चों की खरीद–फरोख्त की जाती है। कृषि, निर्माण कार्य, घरेलु काम, होटल्स आदि जगहों पर अनेक शोषणकारी परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है।

- **महिला तस्करी (Women Trafficking)**

मानव तस्करी का सबसे विस्तृत व घिनौना रूप महिला तस्करी है। व्यवसायिक व यौन शोषण के उद्देश्य से मुख्य रूप से महिलाओं और लड़कियों की तस्करी की जाती है। लड़कियों का अपहरण करके पैसों के माध्यम से उनकी शादी बारी–बारी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर दी जाती है। वेश्यावृत्ति, महिलाओं की तस्करी के सबसे आम कारणों में से एक है। कम उम्र की लड़कियों को विशेष प्रकार की दवाइयां देकर समय से पहले परिपक्व बना दिया जाता है। और उन्हें वेश्यावृत्ति जैसे कामों में धकेल दिया जाता है।

- **अंग तस्करी (Organ Trafficking)**

अंग तस्करी का अवैध कारोबार पूरी दुनिया में काम कर रहा है परन्तु अपनी गुप्त व जटिल प्रकृति के कारण यह मानव तस्करी का कम चर्चित व छुपा हुआ रूप है। यह प्रमुख व बड़े शहरों के प्रतिष्ठित अस्पतालों के पीछे रहकर कार्य करता है। गुर्दा सबसे प्रमुख अंग है जिसका अवैध रूप से व्यापार किया जाता है। कॉर्निया, फेफड़े, और यकृत अन्य प्रमुख अंग है जिनकी तस्करी की जाती है।

- **ऋण बंधन (Debt Bondage)**

यह लोगों को गुलामी में धकेलने के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली विधि है। विदेशों में नौकरी दिलाने का झूठा दिलासा देकर, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। गंतव्य स्थान पर पहुँचने पर उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। उन्हें अपने अधीन कर लिया जाता है। अंततः यह ऋण बंधन में परिणत होता है जो आमतौर पर जीवन भर रहता है।

- **विवाह**

हरियाणा, राजस्थान और भारत के अन्य राज्यों में लिंग अनुपात में विषमता के कारण विवाह के लिए लड़कियां उपलब्ध नहीं हो पा रही है। परिणामतः एक राज्य से दूसरे राज्यों में विवाह के लिए महिलाओं की खरीद–फरोख्त की जा रही है। मानव तस्करों के लिए एक अत्यंत लाभकारी बाजार पैदा हो गया है। यह दुल्हनों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए महिलाओं की आपूर्ति करते है। पुराने जमाने से लड़के की चाहत के कारण ऐसी स्थिति बन गई है कि इन राज्यों में पूरे के पूरे गांव में शादी योग्य लड़कियां उपलब्ध नहीं है।

- **गोद लेना**

बच्चों को गैर कानूनी ढंग से गोद लेना भी तस्करी का एक प्रयोजन बन गया है। कई बार गोद लेने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है तथा बच्चों की मांग काफी अधिक है। इन मांगों को पूरा करने के लिए बच्चों को गैर कानूनी ढंग से गोद ले लिया जाता है। फिर इन बच्चों का इस्तेमाल जबरन मजदूरी से लेकर यौन शोषण तक विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

मानव तस्करी के प्रमुख कारण

- **गरीबीः** गरीबी एक ऐसा जाल है जिसमें फँसा हुआ व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार रहता है। एकल महिला/विधवा माँ अपने बच्चों का भरण–पोषण करने के लिए वह सब कुछ करने को तैयार रहती है जो अवैध व्यापारकर्त्ता उससे करवाना चाहता है। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में गरीबी बहुतायत में है। इसी कारण मानव तस्करी के लिए यह उपयुक्त स्थल है। भारत के जिन हिस्सों में गरीबी व आर्थिक विषमता ज्यादा है, उन्हीं क्षेत्रों में मानव तस्करी की घटनाएँ ज्यादा घटित हो रही है।
- **लिंग–भेद एवं असमानताः** लैंगिक असमानता एवं समाज में हो रहा भेदभाव, लड़कियों व महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा, दहेज प्रथा से संबंधित हिंसा, बाल विवाह, शिक्षा का अभाव आदि कारणों से महिलाएँ व लड़कियाँ मानव तस्करों के जाल में फँस जाती है। एक बार जाल में फँसने के बाद निकलना उनके लिए असंभव हो जाता है।
- **बेरोजगारीः** अवैध व्यापार करने वालों का सबसे पहला निशाना बेरोजगार ही बनते है। वे, उन्हें अपना घर छोड़ने और दूसरे शहर या देश में नौकरी करने के लिए राजी कर लेते है। वे परिवहन, आश्रय, कपड़े या भोजन की व्यवस्था करके उन्हें अपना ऋणी बना लेते है। इस तरह बेरोजगार व्यक्ति को प्रत्येक तरह का कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- **रूढ़िवादी परंपराएँ व सामाजिक परिस्थितियाँः** आज भी हमारे समाज में ऐसी रूढ़िवादी परंपराएँ है जो मानव तस्करी को बढ़ाने में सहायक है। शिक्षा में कमी, बाल विवाह, स्त्री–पुरूष भेदभाव, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार आदि कारण महिलाओं को तस्करी की तरफ धकेलते है। जिन समाजों में महिलाओं को कम महत्व दिया जाता है वे स्वतः ही मानव तस्करी की संभावित शिकार बन जाती है। कम शिक्षित या अशिक्षित लोग मानव तस्करी के छिपे इरादों को समझने में पूरी तरह से विफल रहते है। अवैध व्यापार करने वाले घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को अपना शिकार सबसे पहले बनाते हैं। उन्हें रोजगार के अवसर व बेहतर जीवन का झांसा देकर अपना शिकार बना लेते हैं।
- **विस्थापनः** युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता और आपदाओं के कारण कई बार लोगों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ता है। जब लोगो को अपने घरों और समुदायों से पलायन करने के लिए मजबूर किया जाता है तो वे वित्तीय कठिनाई बेघर होने के कारण अवैध व्यापार की तरफ शीघ्रता से आकर्षित होते है। जिन बच्चों ने अपने माँ–बाप को खो दिया, वे बच्चे दुर्व्यवहार, अनुचित व्यवहार और तस्करी की चपेट में आ जाते हैं। इस प्रकार विस्थापन किसी भी वजह से हो हमेशा मानव तस्करी को बढ़ावा देता है।

मानव तस्करी से जुड़े कुछ तथ्य

- प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को 'विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- मानव तस्करी रोधी इकाई (Anti-Human Trafficking Unit AHTU) की स्थापना भारत में पहली बार 2007 में की गई थी। AHTU मानव तस्करी के खतरे की रोकथाम के लिए स्थापित एक एकीकृत कार्यबल है।
- पुलिस, महिला और बाल विकास विभाग, अन्य संबंधित विभागों तथा गैर–सरकारी संगठनों के प्रशिक्षित प्रतिनिधि इस इकाई का हिस्सा होते है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार देश में हर दिन औसतन छह मामले दर्ज हो रहे हैं। तीन सालों (2020 से 2022) में घटनाओं में 24 फीसदी का इजाफा हुआ है। 2020 में जहां 1714 मामले दर्ज हुए थे, 2022 में यह बढ़कर 2,250 हो गये।
- एन सी आर बी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में मानव तस्कर 40.5 फीसदी पुरुषों और 59.5 फीसदी महिलाओं को निशाना बनाते हैं। 2021 में तो 62 फीसदी महिलाएं और 38 फीसदी पुरुष मानव तस्करी के शिकार हुए।
- सबसे ज्यादा मानव तस्करी के मामले तेलंगाना और महाराष्ट्र में दर्ज किए जाते हैं। (एन सी आर बी की रिपोर्ट के अनुसार)

मानव तस्करी का पीड़ितों पर प्रभाव

- **शारीरिक व मानसिक पतन**

मानव तस्करी से पीडित लोगों को अनेक प्रकार के शारीरिक व मानसिक शोषण का शिकार बनना पड़ता है। जिन लोगों का यौन शोषण किया जाता है, वे आगे जाकर यौन संचारित रोगों का शिकार बन जाते हैं। लंबे समय तक उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उन्हें पीटा जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ऐसे लोग अक्सर अपनी शारीरिक चोटों, यौन संक्रमण, कुपोषण एवं शारीरिक थकावट का सामना करते है

मानव तस्करी से पीडित लोग मानसिक रूप से अवसाद में घिर जाते हैं। कई बार पागलपन व कोमा की स्थिति में पहुँच जाते हैं। अपराध बोध के शिकार बन जाते हैं। उनमें जीवन के प्रति निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसे लोगों में सोचने–समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। ऐसे लोग मानसिक भय का शिकार रहते है और अन्य लोगों पर अविश्वास करने लगते है।

- **मानव अधिकारों का उल्लंघन**

मानव तस्करी से पीड़ित लोगों के सभी प्रकार के मानव अधिकारों, समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा, व बंधुत्व का अंत हो जाता है। मानव होने के नाते जीवन जीने के लिए आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएँ भी उनसे छिन जाती है।

- **सामाजिक परिणाम**

मानव तस्करी से पीड़ित महिलाओं और लड़कियों का सामाजिक जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और वे सभी समाज में अपना सम्मान खो देते हैं। जिन व्यक्तियों की तस्करी की जाती है, उनके साथ दोहरी मार होती है। एक तो उनका शोषण किया जाता है, दूसरा जल्दी ही वे अपने दोस्तो, परिवारजनों और अन्य सामाजिक दायरे से अलग–थलग हो जाते है या उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। उन्हें घर, परिवार एवं समाज से विरक्त कर दिया जाता है। दुर्भाग्य से समाज द्वारा उनके साथ होने वाला यह अलगाव उन्हें फिर से मानव तस्करी का शिकार बना देता है।

- **शारीरिक रोग**

मानव तस्करी के शिकार लोगों को अनेक तरह के रोगों से लड़ना पड़ता है। यौन संचारित रोगों के साथ–साथ मधुमेह, कैंसर जैसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अपहरण के दौरान कई बार उन्हें बक्सों या कमरों में बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण उनमें श्वसन रोग संबंधित गंभीर बीमारी हो जाती है।

मानव तस्करी को रोकने के उपाय

मानव तस्करी एक गंभीर व संवेदनशील वैश्विक समस्या है, जिसे पूरी तरह से रोकना अभी संभव नहीं, परन्तु ऐसे मामलों को कम करने का प्रयास अवश्य किया जा सकता है। इसके लिए कानून व प्रशासन ही नहीं बल्कि आम नागरिकों को भी सतर्क व सहज रहने की जरूरत है। मानव तस्करी की बढ़ती घटनाओ पर नियंत्रण करने के कुछ उपाय निम्न हो सकते है–

- सुनिश्चित करे कि आपके क्षेत्र में कोई गलत या आपराधिक कार्य तो नहीं हो रहा रहा है, यदि हो रहा है तो उसकी सूचना तुरंत संबंधित थाने को दे।
- मानव तस्करी को रोकने के लिए हमें अपने समुदायों में अलग–अलग स्तर पर जन– जागरूकता अभियान चलाना होगा। हमें राष्ट्रीय मानव तस्करी हॉटलाइन एवं टोल फ्री नंबर का आम जनता तक व्यापक प्रचार–प्रसार करना होगा। उन अभी क्षेत्रों को चिन्हित करना होगा जहां मानव तस्करी की घटनाएं ज्यादा होती है।
- वेश्यावृत्ति में जो महिलाएँ शामिल होती है वे भी मानव तस्करी की शिकार होती है। उनकी मानसिक स्थिति का गहन अध्ययन किया जाए, और उन्हें इस धंधे से बाहर निकालने के लिए पुलिस व अन्य सभी संबंधित संस्थाओं का सहयोग लिया जाना चाहिए।
- ऐसे संस्थान व जगहों, जहां पर महिलाएं व बच्चे काम करते हो वहाँ का निरंतर निरीक्षण करते रहना चाहिए तथा उनके पहचान पत्रों की गहनता से जाँच करनी चाहिए।
- बच्चों द्वारा भदि आप भीख मांगते हुए देखते है तो सर्वप्रथम उसके भीख मांगने का कारण जानने का प्रयास करें, कहीं वह बच्चा किसी की जोर जबरदस्ती की वजह से तो भीख नहीं मांग रहा है, यदि हां तो संबंधित थाने में उसकी सूचना दे।
- यदि आपके आस पास कोई नाबालिग बच्चा मजदूरी कर रहा है तो वह भी मानव तस्करी का शिकार हो सकता है, उसका कारण जानने का प्रयास करे।
- मानव तस्करी विरोधी कानून को और अधिक कठोर बनाने की आवश्यकता है साथ ही इन कानूनों का प्रभावी एवं त्वरित क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। मानव तस्करी से पीडित लोगों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का भी प्रबंध करना होगा।
- मानव तस्करी की घटनाओं से पीड़ीत लोगों के लिए निःशुल्क एवं त्वरित चिकित्सा सहायता का प्रावधान करना होगा। मानसिक रूप से पीड़ीत लोगों के लिए मनोवैज्ञानिक, की व्यवस्था करनी होगी।
- आपातकाल नियंत्रण कक्ष व मोटर वाहन की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सरकार को इस संवेदनशील समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त पुलिस व्यवस्था व धन की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों को इस समस्या के प्रति संवेदनशील बनाकर, उन्हें निरंतर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- इस समस्या से निजात दिलाने में सामाजिक संगठनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। सामाजिक सरकारी व गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से हम विभिन्न जन चेतना के अभियान चलाकर पीड़ित लोगों का पुनर्वास करके उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़कर, पीड़ित लोगों के प्रति समाज की सोच बदलने की कोशिश करके, हम मानव तस्करी पर प्रभावी रोक लगा सकते हैं।

- मानव तस्करी केवल राष्ट्रीय समस्या नहीं है । नेपाल व बांग्लादेश की एक खुली लम्बी सीमा होने के कारण, इन देशों के साथ भी मानव तस्करी की अनेको घटनाएँ घटित हो रही है। अतः भारत को मानव तस्करी की समस्या के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, संगठनों व अन्य राष्ट्रों से भी सहयोग लेना चाहिए और इसके प्रयास भी जारी है।

निष्कर्ष

मानव तस्करी न केवल भारत की समस्या है अपितु यह एक वैश्विक समस्या है। केवल अल्प विकसित एवं विकासशील राष्ट्र ही नहीं बल्कि विकसित राष्ट्र भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। मानव तस्करी एक सभ्य समाज के लिए न केवल जघन्य अपराध है अपितु उस पर कलंक के समान है। भारत के गाँवो से हजारों बच्चे लापता है जिन्हें माता–पिता, रिश्तेदारों और जान–पहचान वालों द्वारा शहरों में मानव तस्करी के लिए बेच दिया जाता है। प्राथमिक रिपोर्ट में थानों में उन्हें केवल गुमशुदा के रूप में दिखाया जाता है। परिणामस्वरूप सरकारी जांच के अलावा कुछ और नहीं किया जाता और बच्चों को लापता मान लिया जाता है। जिन्हें छुड़ाया जाता भी है, उन्हें दयनीय स्थितियों में रखा जाता है। खाने में कीड़े होते हैं, शौचालय गंदगी से भरे होते है। चिकित्सा सुविधाएं घटिया है। परामर्श उपलब्ध नहीं है।

एक व्यक्ति जिसने मानव के रूप में जन्म ले लिया है तो उसके कुछ मानव अधिकार भी है, जिन्हें छीनने का अधिकार किसी के पास भी नहीं है। एक गरीब से गरीब और अशिक्षित आदमी को भी स्वतंत्र व सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे अनेक तरीके है जिनके माध्यम से मानव तस्करी पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। भारत के प्रत्येक नागरिक को इस तरह की घटनाओं के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। केवल गाँवो ही नहीं बल्कि बड़े शहरों में भी मानव तस्करी का जाल फैला हुआ है। गांव–गांव, ढाणी–ढाणी में मानव तस्करी विरोधी स्वयं सेवक जागरूक संगठन बनाने होंगे तथा आस–पास की सभी घटनाओं के प्रति संवेदनशील बनना होगा। पुलिस व प्रशासन को मजबूत बनाना होगा व पूरी सुविधाएं मुहैया करानी होगी। एक तरह से प्रत्येक व्यक्ति इस समस्या को दूर करने में अपनी भूमिका निभा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Louins Shelley, Human Trafficking: A Global Perspective, Cambridge University Press, P-2, 2010
2. मानव तस्करी : 21वीं सदी की महामारी, ध्येय आई.ए.एस. एकेडमी, दिल्ली।
3. पंजाब केसरी, 16 सितम्बर 2021
4. जबरन श्रम के खिलाफ एक वैश्विक गठबंधन, आईएलओ रिपोर्ट, 11 मई 2005
5. https://www.justice.gov
6. इनसाइट : भारत में मानव तस्करी, दृष्टि, आई.ए.एस. अकादमी, नई दिल्ली।
7. इंडिया टुडे
8. दैनिक भास्कर
9. सतत् विकास लक्ष्य पांच : लैंगिक समानता, संयुक्त राष्ट्र महिला, 23 सितम्बर, 2020
10. United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in persons Especially Women and Children, 2000, OHCHR

❖◆❖